



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022020-216126  
CG-DL-E-13022020-216126

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]  
No. 89]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941  
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

सा.का.नि.107(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड) के साथ पठित धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) स्थापन भर्ती बोर्ड नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, :-

(क) “अधिनियम” से प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) “बोर्ड” से प्रसार भारती बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) “अध्यक्ष” से निगम के भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) “सदस्य” से भर्ती बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसे बोर्ड का अध्यक्ष भी है;

(ड) “भर्ती” से सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति या नियोजन अभिप्रेत है;

(च) “भर्ती बोर्ड” से नियम 3 के अधीन स्थापित बोर्ड अभिप्रेत है;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. भर्ती बोर्ड – (1) निगम, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम वेतनमान वाले पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए एक भर्ती बोर्ड की स्थापना करेगा, जो एक अध्यक्ष और सात से अनधिक सदस्यों की ऐसी संख्या जो वह ठीक समझे, से मिलकर बनेगा;

परंतु निगम का कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी भर्ती बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

(2) भर्ती बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य :-

(1) भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य अशकालिक सदस्य होंगे जिनका बोर्ड द्वारा अधिमानतः निम्नलिखित में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा:-

(i) केंद्रीय सरकार के ऐसे व्यक्ति जो पदेन आधार पर, प्रसारण, प्रशासन, लोक प्रशासन या प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव रखते हों;

(ii) प्रसारण के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति;

(iii) शिक्षण या ज्ञान के ऐसे अन्य विशेषज्ञीय क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति, जो बोर्ड ठीक समझे:

परंतु पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, अन्य सदस्यों को अधिकतम तीन वर्षों के लिए नामित किया जाएगा;

परंतु ऐसे व्यक्तियों का, पदेन सदस्यों से भिन्न, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसा कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में से और एक व्यक्ति महिलाओं में से सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष और सदस्य, पदेन सदस्यों से भिन्न, ऐसी बैठक फीस, यात्रा भत्ते और ठहरने या खान-पान भत्ते निगम द्वारा यथा विनिश्चित के हकदार होंगे किंतु किसी वेतन या पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।

(3) बोर्ड, भर्ती बोर्ड के किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति-

(क) दोषी सिद्ध हुआ हो और उसे ऐसे अपराध, जो केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक कदाचार हो, के लिए सजा दी गई हो; या

(ख) ऐसा अनुमोचित दिवालिया हो; या

(ग) अस्वस्थ चित्त का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमित निकाय की सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया हो; या

(ड) बोर्ड की राय में जिसका निगम में ऐसा वित्तीय या अन्य हित हो जिससे उसके द्वारा सदस्य के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(च) बोर्ड की राय में उसने ऐसा व्यवहार किया हो जो भर्ती बोर्ड या निगम के कार्यों के असंगत हो।

5. भर्ती बोर्ड के कार्य – (1) भर्ती बोर्ड, संबंधित पदों पर लागू भर्ती विनियमों के अनुसार नियम 3 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा या विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करेगा और बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, उसके लिए नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करके बोर्ड को उसकी सिफारिश करेगा।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, भर्ती बोर्ड द्वारा नियम 3 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट पदों हेतु अभ्यर्थियों की परीक्षाएं आयोजित करने और चयन करने हेतु बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से एक स्कीम तैयार की जाएगी।

(3) भर्ती बोर्ड –

(क) प्रसार भारती सचिवालय से उन रिक्त पदों की संख्या का पता लगाएगा जिनके लिए भर्ती बोर्ड द्वारा समय-समय पर भर्ती की जानी है;

(ख) ऐसे पदों के लिए विज्ञापनों या परिपत्रों द्वारा आवेदन आमंत्रित करेगा;

(ग) विज्ञापनों या परिपत्रों के उत्तर में प्राप्त आवेदनों की जांच-पड़ताल करेगा;

(घ) अभ्यर्थियों का चयन ऐसे भर्ती विनियमों के अनुसार करेगा जो ऐसे पदों पर लागू हैं;

(ड) भर्ती बोर्ड द्वारा किए गए चयनों का रिकॉर्ड रखेगा; और

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा अधिकथित आरक्षण नीति के अनुसार हैं।

(4) भर्ती बोर्ड ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे किसी पद पर भर्ती के संबंध में निगम द्वारा सौंपे जाएं।

(5) बोर्ड, भर्ती बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार करेगा।

परंतु बोर्ड, असाधारण परिस्थितियों में और ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी सिफारिशों को अस्वीकार कर सकेगा।

6. निधियां – भर्ती बोर्ड के व्ययों की पूर्ति निगम की निधियों से की जाएगी।

7. शिथिलीकरण – केंद्रीय सरकार को इन नियमों के अधीन अधिकथित किसी शर्त या निर्बंधन को शिथिल करने की शक्तियां होंगी।

8. भर्ती बोर्ड को सचिवीय सहायता – निगम, भर्ती बोर्ड को इसके कार्यों के संचालन में सभी सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

[फा.सं. 45011/57/2010-बीएपी]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2020

**G.S.R. 107(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 read with clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 32 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Establishment of Recruitment Board Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) “Act means the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990);
  - (b) “Board” means the Prasar Bharati Board;
  - (c) “Chairperson” means the Chairperson of the Recruitment Board of the Corporation;
  - (d) “member” means a member of the Recruitment Board and includes the Chairperson of such Board;
  - (e) “Recruitment” means appointment or engagement through direct recruitment or by deputation (including short term contract) or through limited departmental competitive examination;
  - (f) “Recruitment Board” means the Board established under rule 3;
  - (g) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.
3. Recruitment Board.- (1) The Corporation shall, for appointment of persons to posts carrying scale of pay less than that of a Joint Secretary to the Government of India, establish a Recruitment Board consisting of a Chairperson and such number of members not exceeding seven, as it may deem fit:

Provided that no member or officer or employee of the Corporation shall be a member of the Recruitment Board.

- (2) The headquarter of the Recruitment Board shall be at New Delhi.
4. Chairperson and Members of Recruitment Board.- (1) The Chairperson and Members of the Recruitment Board shall be part-time members, nominated by the Board preferably from amongst the following, namely:-
  - (i) persons from the Central Government having knowledge or experience in the field of Broadcasting, administration, public administration or management, on *ex-officio* basis;
  - (ii) persons of eminence in the field of Broadcasting;
  - (iii) persons of eminence in such other specialised fields of learning or knowledge, as the Board may deem fit:

Provided that persons, other than *ex-officio* members, shall be nominated for a maximum period of three years:

Provided further that at least one such person shall be from amongst the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and one from amongst women shall be nominated as a member:

- (2) The Chairperson and members, other than *ex-officio* members, shall be entitled to such sitting fees, travelling allowance and boarding or lodging allowance, as may be decided by the Corporation, but shall not be entitled to any salary or remuneration.

- (3) The Board may remove a member of the Recruitment Board, if such person-
- (a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
  - (b) is an undischarged insolvent; or
  - (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
  - (d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government; or
  - (e) has in the opinion of the Board such financial or other interest in the Corporation as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a member; or
  - (f) in the opinion of the Board, has conducted himself in such manner which is inconsistent with the functions of the Recruitment Board or of the Corporation.

5. Functions of Recruitment Board.- (1) The Recruitment Board shall hold the competitive examination or departmental examination or conduct interviews for selection of candidates for the posts referred to in sub-rule (1) of rule 3 in accordance with the recruitment regulations applicable to respective posts and shall shortlist and recommend to the Board candidates for appointment thereto, in the manner specified by the Board.

(2) For the purposes of sub-rule (1), a scheme shall be prepared by the Recruitment Board with prior approval of the Board, for conducting examinations and selection of candidates for the posts referred to in sub-rule (1) of rule 3.

(3) The Recruitment Board shall –

- (a) ascertain from the Prasar Bharati Secretariat, the number of vacant posts for which recruitment is to be made by the Recruitment Board from time to time;
- (b) invite applications by advertisements or circulars to such posts;
- (c) scrutinise the applications received in response to the advertisement or circulars;
- (d) select the candidates in accordance with such recruitment regulations as are applicable to such posts;
- (e) maintain records of selections made by the Recruitment Board; and
- (f) ensure that appointments are in accordance with the reservation policy laid down by the Government of India.

(4) The Recruitment Board shall perform such other duty as may be entrusted to it by the Corporation regarding recruitment to any post.

(5) The Board shall accept the recommendations of the Recruitment Board:

Provided that the Board may, in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, may not accept such recommendations.

6 Funds.- Expenses of the Recruitment Board shall be met from the funds of the Corporation.

7 Relaxation.- The Central Government shall have the powers to relax any condition or restriction laid down under these rules.

8. Secretarial assistance to Recruitment Board.- The Corporation shall provide all secretarial assistance to the Recruitment Board in the conduct of its function.

[F. No. 45011/57/2010-BAP]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.